UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

# "महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम एवं चुनौतियॉं"

*प्रो. श्रीमती सुजाता नाईक*
*(सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र, अमर शहीद राजाभाऊ महाकाल शा. महाविद्यालय, सोनकच्छ, देवास)*

*'यत्र नार्यस्तु पूज्यते स्मंते तत्र देवता।' प्राचीन भारत में नारी का स्थान पूजा के योग्य माना जाता था। महाभारत में भी कहा गया है 'अर्द्ध भार्या मुनष्यस्प' अर्थात् पत्नी मनुष्य का आधा भाग है। ऋगवेद में पत्नी को पति के घर में रानी की तरह रहने का आशिर्वाद दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी। वैदिक युग में लड़कियों को लड़को के बराबर समझा जाता था। कुछ लोग विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिये यज्ञ आदि तक किया करते थे। पर्दा प्रथा नही थी। पुरूषो के समान स्त्रियॉं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। जब शंकराचार्य ने मण्डनमिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया था तो उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। किंतु धीरे–धीरे स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत गिरती गई। स्मृतिकारो ने छोटी उम्र में विवाह के नियम बनाये, जिनसे बाल विवाह प्रथा प्राचलित हुई। साथ ही विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवा विवाह की अनुमति मुश्किल से मिलती थी। दहेज प्रथा दिनोंदिन अपना आकार विस्तृत किये जाने लगी। महिलाओं को यौन उत्पीडन व अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ने लगा।*

---

हमारा पुरूष प्रधान समाज कही न कहीं, किसी न किसी रूप में महिलाओं के विकास में बाधा बनकर सम्मुख आकर खड़ा होन लगा। आज घरेलु महिलाओ को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है वहीं घर सेबाहर जाकर काम करने वाली महिलाओ को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में सबसे भयावह स्थिती स्त्री–पुरूष अनुपात का गड़बड़ा जाना एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आधुनिक युक महिला सशक्तिकरण का युग है। सशक्तिकरण शब्द से तात्पर्य विकास का उच्च सोपान है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर कहा था, **'औरतो की स्थिती में सुधार लाये बिना कल्याण असंभव है,** जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना' जब तक इस सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक ओर आर्थिक भेदभाव को खत्म नही किया जा सकता तब तक महिला को मात्र राजनैतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकता ।

महिलाओं की यह दयनीय पूर्ण स्थिती केवल भारत में ही नही विश्व भर में व्याप्त है। तभी 1975 में विश्व ने 8 मार्च का **'अंतराष्ट्रीय महिला दिवस'** श्री औपचारिक रूप से मनाये जाने की घोषण की गई। पंरतु बीसवीं सदी के ढाई दशक बाद भी महिलाओ की स्थिती में उल्लेखनीय सुधर नही हो पाया। हालांकि आधुनिक नारी ने अपने अधिकारों के युद्ध की घोषणा बुलंद आवाज में करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जीत निश्चित कर दी है। क्योंकि उसमें साहस है, विश्वास है, शिक्षा है, उम्मीद है और ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है। आधुनिक युग मे समाज मे महिलाओं की स्थिती का परिहश्य एक और तो उत्साहजनक है पंरतु दूसरी और आज भी लाखो करोड़ो महिलाये गरीबो शोषण, उत्पीडिन और सामाजिक उपेक्षा के कारण दयनीय जीवन व्यतित करने को अभिशप्त है। शायद हमें यह जानकर हैरानी हो पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 25ः से अधिक महिलाओ को देर से खाना बनाने पर उत्पीडन का शिकार होना पड़ता है। 80ः महिलाओं को आये दिन गाली गलौच का सामना करना पड़ता है। 51प्रतिशत को घर से निकालने की धमकी का आये दिन सामना करना पड़ता है। महिलाये उन्नति के शिखर पर पहॅूच कर भी दोय्यम के दर्जे की ही क्यों? स्वतंत्रता के

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

पश्चात् घः दशक से अधिक समय बीत जाने पर भी संविधान मे महिलाओं के लिये अधिकारों कानूनी प्रावधानो के बावजूद महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया है।

एक तरफ तो महिलायें उन्नति के उच्च पदो पर पहॅूच रही है दूसरी तरफ महिलाओ पर बढ़ते अत्याचार, शोषण हिंसा, प्रताडनाये भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अंचलो में तो महिलाओ की स्थिती और भी विकट है। आधुनिक समय में एक तरफ तो महिलायें पुरूषो के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं को अनेक चुनौतियो का सामना करना पड़ रहा है। भारत कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही समाज के सभी वर्गो का जीवन स्तर उपर उढाना तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तथा महिला सशक्तिकरण मे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये अनेक संवैधानिक प्रयस किये जा रहे है, अनेक संगठनों एव संस्थाओं के द्वारा भी महिलाओ के कल्याण के लिये अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है आज देश को आजाद हुए 64 वर्ष पूर्ण हो चुके है। किसी राष्ट्र के विकास के लिये 64 वर्ष का समय काफी होता है। किंतु जमीनी हकीकत यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिये जो सैद्धांतिक उपाय किये जा रहे है वे व्यवहारिक स्तर पर इतने लाभकारी नहीं हुए, जितने कि होने चाहिये। इस संबंध मे केवल इतना कहा जा सकता है कि भारतीय सामाजिक संरचना मे जब तक परिवर्तन नही होगा और मानसिकता नही बदलेगी, भारतीय समाज मे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबुत आधार तैयार नही होगा। भारतीय समाज में अनेक रूढ़िया घर कर गई है तथा समाज अनेक अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है।

ऐसी स्थिती मे महिला सशक्तिकरण को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैः–

- महिला शिक्षा का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है।
- को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाये प्रदान करना अत्यंत जरूरी है।
- महिलाओ मे जागरूकता का विकास होना जरूरी है। जिस दिन महिलायें जागरूक हो जायेगी उस दिन उनका स्वयं सशक्तिकरण हो जायेगा।
- मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है पुरूष प्रधान समाज में पुरूषो की मानसिकता में, सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। बचपन से ही लडको को महिला का सम्मान करने की सीख देनी चाहिये।
- जहॉ एक ओर पुरूष महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा है, वही दूसरी ओर महिलाये भी इसके लिये कम उत्तरदायी नही है। महिलाये ही महिलाओं की तरक्की में रूकावट डालती है। इस मानसिकता को बदलना होगा। महिलाओं को स्वयं की सोच में बदलाव लाना होगा।
- सामाजिक कृरूतियों को दूर करना जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा, विवाह पर रोक, बालिकाओं की उपेक्षा ये सब कुरीतियों को समाज से दूर हटाना चाहिये इसके लिये महिलाओ को ही इन कुरूतियो को दूर करना चाहिये।
- स्वरोजगार एवं समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी।
- महिला के विरूद्ध हो रही हिंसा, बालात्कार इत्यादि के अपराधी को कठोर, दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिये।
- महिलाये देश की आबादी का आधा भाग है। कोई भी देश या समाज अपनी आबादी के आधे भाग की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता। इसके लिये समग्र रूप से विकास आवश्यक है यह
- समग्र विकास ही महिला सशक्तिकरण का आधार है एवं चुनौतियों का सामना करते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढाने में सहायक है।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

**'यत्र नार्यस्तु पूज्यते स्मंते तत्र देवता।'** प्राचीन भारत में नारी का स्थान पूजा के योग्य माना जाता था। महाभारत में भी कहा गया है **'अर्द्ध भार्या मुनष्यस्प'** अर्थात् पत्नी मनुष्य का आधा भाग है। ऋगवेद में पत्नी को पति के घर में रानी की तरह रहने का आशिर्वाद दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा काफी उन्नत थी। वैदिक युग में लड़कियों को लड़को के बराबर समझा जाता था। कुछ लोग विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिये यज्ञ आदि तक किया करते थे। पर्दा प्रथा नही थी। पुरूषो के समान स्त्रियॉ भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। जब शंकराचार्य ने मण्डनमिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया था तो उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था।

किंतु धीरे–धीरे स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत गिरती गई। स्मृतिकारो ने छोटी उम्र में विवाह के नियम बनाये, जिनसे बाल विवाह प्रथा प्राचलित हुई। साथ ही विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवा विवाह की अनुमति मुश्किल से मिलती थी। दहेज प्रथा दिनोंदिन अपना आकार विस्तृत किये जाने लगी। महिलाओं को यौन उत्पीडन व अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ने लगा। हमारा पुरूष प्रधान समाज कही न कहीं, किसी न किसी रूप में महिलाओं के विकास में बाधा बनकर सम्मुख आकर खड़ा होन लगा। आज घरेलु महिलाओ को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है वहीं घर सेबाहर जाकर काम करने वाली महिलाओ को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में सबसे भयावह स्थिती स्त्री–पुरूष अनुपात का गड़बड़ा जाना एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

**<u>महिला सशक्तिकरण का युग</u>** :– आधुनिक युक महिला सशक्तिकरण का युग है। सशक्तिकरण शब्द से तात्पर्य विकास का उच्च सोपान है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर कहा था, **'औरतो की स्थिती में सुधार लाये बिना कल्याण असंभव है,** जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना' जब तक इस सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक ओर आर्थिक भेदभाव को खत्म नही किया जा सकता तब तक महिला को मात्र राजनैतिक समानता देने से सशक्त नहीं बनाया जा सकता । महिलाओं की यह दयनीय पूर्ण स्थिती केवल भारत में ही नही विश्व भर में व्याप्त है। तभी 1975 में विश्व ने 8 मार्च का **'अंतराष्ट्रीय महिला दिवस'** श्री औपचारिक रूप से मनाये जाने की घोषण की गई। पंरतु बीसवीं सदी के ढाई दशक बाद भी महिलाओ की स्थिती में उल्लेखनीय सुधर नही हो पाया। हालांकि आधुनिक नारी ने अपने अधिकारों के युद्ध की घोषणा बुलंद आवाज में करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जीत निश्चित कर दी है। क्योंकि उसमें साहस है, विश्वास है, शिक्षा है, उम्मीद है और ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है।

आज बड़ी संख्या में महिलाये घरों की चार दिवारी से निकलकर काम पर जा रही है। वर्तमान में बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति की बढ़ती मांगों को देखते हुए एक व्यक्ति की आमदनी से घर खर्च सुचारू रूप से चलाना कठिन महसूस किया जाने लगा है।

आर्थिक रूप से सक्षम नारी अपने परिवार को भी मजबूती प्रदान करती है, साथ ही स्वयं भी आत्म निर्भर, हो जाती है, जिससे समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, आत्म सम्मान की भावना बढ़ती है।

आज कामकाजी महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारीयों को निर्वाह करना होता है। जहॉ वह पहले घर के कामकाज देखती थी, आज वह इन सबके अतिरिक्त अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को भी संभालती है। आज महिलायें उच्च शिक्षा प्राप्त करती है एवं अनेक महत्वपूर्ण पदो पर सफलता पूर्वक कार्य कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे महिलाये गतिशील है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजकीय प्रशासनिक सेवा, न्यायाधीश, अधिवक्ता, सी.ए., डॉक्टर,

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

इंजिनियर, व्याख्याता, सूचना प्राधोगिकी क्षेत्र, लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक, पायलट, जल, थल, नम सेवाओं में, पुलिस सेवा में आदि महत्वपूर्ण पदो पर आज महिलायें आसीन है। खेलकूद के क्षेत्र में उड़नपरी के नाम से विख्यात पी.टी. उषा, व मल्लेश्वरी का नाम आता है।

| | | |
|---|---|---|
| बच्छेदीपाल | – | प्रथम स्त्री मांउट एवरेस्ट विजेता |
| श्रीमती किरण बेदी | – | पुलिस सेवा |
| कल्पना चावला | – | अंवरिस–यात्री, वैज्ञानिक |
| महाश्वेता देवी | – | गायन |
| शहनाज हुसैन | – | सौन्दर्य के क्षेत्र में |
| सानिया मिर्जा | – | टेनिस |

इस प्रकार महिलाये पति, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्यों कार्यस्थल में साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों व समाज सभी के साथ सामंजस्य से तालमेल बिढाकर कार्य कर रही है। जिसमें उसे अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी–कभी वह अपने बच्चो की पढ़ाई आदि पर उचित ध्यान नहीं दे पाती, कभी–कभी वह स्वयं के खानपान, स्वास्थ्य पर भी उचित ध्यान नहीं दे पाती। परंतु फिर भी वह दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है एवं सशक्तिकरण की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है।

आधुनिक युग मे समाज मे महिलाओं की स्थिती का परिहश्य एक और तो उत्साहजनक है पंरतु दूसरी और आज भी लाखो करोड़ो महिलाये गरीबो शोषण, उत्पीडिन और सामाजिक उपेक्षा के कारण दयनीय जीवन व्यतित करने को अभिशप्त है। शायद हमें यह जानकर हैरानी हो पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 25ः से अधिक महिलाओ को देर से खाना बनाने पर उत्पीडन का शिकार होना पड़ता है। 80ः महिलाओं को आये दिन गाली गलौच का सामना करना पड़ता है। 51प्रतिशत को घर से निकालने की धमकी का आये दिन सामना करना पड़ता है।

महिलाये उन्नति के शिखर पर पहॅूच कर भी दोय्यम के दर्जे की ही क्यों? स्वतंत्रता के पश्चात् घः दशक से अधिक समय बीत जाने पर भी संविधान मे महिलाओं के लिये अधिकारों कानूनी प्रावधानो के बावजूद महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया है। एक तरफ तो महिलायें उन्नति के उच्च पदो पर पहॅूच रही है दूसरी तरफ महिलाओ पर बढ़ते अत्याचार, शोषण हिंसा, प्रताडनाये भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अंचलो में तो महिलाओ की स्थिती और भी विकट है।

देश में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओ को पुरूषो के समान ही दर्जा प्राप्त है लेकिन लोकसभा में आज तक 10ः से अधिक महिला सदस्य नहीं पहूंच पायी है। इस कमी को दूर करने के लिये महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तावित किया गया है। जिसमें लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में 33ः सीट महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने की बात है पर सभी राजनैतिक दलों के विशेषकर पुरूष सोच में सहमति न होन से यह अभी तक पास नही हुआ है। देश में महिलाओं से संबधित कुछ क्षेत्रों में तो स्थिती चितांजनक हैः–

बालिका भ्रूण हत्या से लिंग अनुपात में बालि संख्या में गिरावट।
मातृ शिशु मृत्यु दर मे वृद्धि।
विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या मे वृद्धि।
महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

**भारत में प्रत्येक एक हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या**

| वर्ष | लिंग दर | वर्ष | लिंग दर |
|---|---|---|---|
| 1901 | 972 | 1961 | 941 |
| 1911 | 964 | 1971 | 930 |
| 1921 | 955 | 1981 | 934 |
| 1931 | 950 | 1991 | 927 |
| 1941 | 945 | 2001 | 927 |
| 1951 | 946 | | |

नौ सौ से कम अनुपात वाले राज्यो में हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिलनाडू, उत्तरप्रदेश है। पंजाब जो भारत के समृद्ध राज्यों में से एक है 1000 पुरूषो पर महिला स्त्रीयों की संख्या 795 है।

इस चिंताजनक स्थिती को देखते हुए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं को ध्यान मे रखकर ही विकास की गति को तेज किया जा सकता है।

**सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासः–**

भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अनेक कानून बनाये है जो कि निम्नलिखित हैः–

भारतीय तलाक एक्ट – 2001
महिला पर घरेलू हिंसा अधिनियम – 2001
परित्यक्ताओं हेतु गुजारा भत्तो अधिनियम – 2001
बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक – 2001

हमारी राज्य सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण वर्ष में निम्न कल्याणकारी कार्य करने के कदम उठाये है :–

- राज्य में महिला आयोग की स्थापना एवं महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला नीति की घोषणा।
- सरकारी नौकरियों मे महिलाओ का आरक्षण 20ः से बढ़कर 30ः कर दिया गया है।
- दहेज के कारण अत्याचार से पीड़ित ओर विकलांग हुई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा पत्नियों को प्रताडित करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय।

अतः स्पष्ट है कि आधुनिक समय में एक तरफ तो महिलायें पुरूर्षो के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं को अनेक चुनौतियो का सामना करना पड़ रहा है। भारत कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही समाज के सभी वर्गो का जीवन स्तर उपर उढाना तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तथा महिला सशक्तिकरण मे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये अनेक संवैधानिक प्रयस किये जा रहे है, अनेक संगठनों एव संस्थाओं के द्वारा भी महिलाओ के कल्याण के लिये अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है आज देश को आजाद हुए 64 वर्ष पूर्ण हो चुके है। किसी राष्ट्र के विकास के लिये 64 वर्ष का समय काफी होता है। किंतु जमीनी हकीकत यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिये जो सैद्धांतिक उपाय किये जा रहे है वे व्यवहारिक स्तर पर इतने लाभकारी नहीं हुए, जितने कि होने चाहिये। इस संबंध मे केवल इतना कहा जा सकता है कि भारतीय सामाजिक संरचना मे जब तक परिवर्तन

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

नही होगा और मानसिकता नही बदलेगी, भारतीय समाज मे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबुत आधार तैयार नही होगा। भारतीय समाज में अनेक रूढ़िया घर कर गई है तथा समाज अनेक अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। ऐसी स्थिती मे महिला सशक्तिकरण को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैः–

महिला शिक्षा का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है लड़के ओर लडकियों को शिक्षित करने में भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिये महिला शिक्षित होगी तो उनकी मानसिकता में सोच मं परिवर्तन होगा आगे बढ़ने की, तरक्की करने की इच्छा उत्पन्न होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अतः महिलाओं मे शिक्षा का प्रसार और तेजी से होना चाहिये।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। महिलायें शिक्षित होगी तो उन्हे रोजगार मिलेगा और वे किसी भी तरह से आय सृजन का कार्य कर सकती है। जब वे आर्थिक रूप से हुए आत्मनिर्भर होगी तो अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिये सक्षम होती है।

महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाये प्रदान करना अत्यंत जरूरी है। भारतीय समाज महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है देश में लाखो की संख्या में महिलाये प्रसव काल के दौरान मृत्युकाल के गाल मे समा जाती है। समाज में बालको की तुलना मे बालिकाओ की मृत्यु दर भी आधिक है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये और इस संबंध मे परिवार को भी विशेष ध्यान देना चाहिये।

महिलाओ मे जागरूकता का विकास होना जरूरी है। हमारे समज मे गरीबी, अशिक्षा, ऊॅच नीच की भावना, रूढ़ीवादिता आदि व्याप्त है। अनेक वर्षो तक विदेशी शासको ने समाज को इसी स्थिती में जीने को मजबूर किया है, ऐसी स्थिती मे, जैसे है, जिस हाल में है, उसी में खुश है, उसी को अपना भाग्य मानते है अतः तरक्की के लिये विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिये महिलाओं मे जागरूकता का विकास अत्यंत जरूरी है। जिस दिन महिलायें जागरूक हो जायेगी उस दिन उनका स्वयं सशक्तिकरण हो जायेगा।

मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है पुरूष प्रधान समाज में पुरूषो की मानसिकता में, सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। बचपन से ही लडको को महिला का सम्मान करने की सीख देनी चाहिये। परिवार में वातावरण भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें माता का, बहनों का, सम्मान हो इसके लिये पिता का व्यवहार भी माता ओर पत्नी के लिये सम्मानजनक होना चाहिये। जब परिवार में महिलाओं को सम्मान देगे तो समाज मे भी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। अतः पुरूषो की मानसिकता मे सोच में बदलाव अत्यंत आवश्यक है। कानून नियम कितने भी बनाये जाये जब तक सोच में परिवर्तन नही होगा तब तक महिलाओं को सम्मान नही मिलेगा।

जहॉ एक ओर पुरूष महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा है, वही दूसरी ओर महिलाये भी इसके लिये कम उत्तरदायी नही है। महिलाये ही महिलाओं की तरक्की में रूकावट डालती है। इस मानसिकता को बदलना होगा। महिलाओं को स्वयं की सोच में बदलाव लाना होगा।

सामाजिक कृरूतियों को दूर करना जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा, विवाह पर रोक, बालिकाओं की उपेक्षा ये सब कुरीतियों को समाज से दूर हटाना चाहिये इसके लिये महिलाओ को ही इन कुरूतियो को दूर करना चाहिये।

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. 150-156

स्वरोजगार एवं समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी।

महिला के विरूद्ध हो रही हिंसा, बालात्कार इत्यादि के अपराधी को कठोर, दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिये।

महिलाये देश की आबादी का आधा भाग है। कोई भी देश या समाज अपनी आबादी के आधे भाग की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता। इसके लिये समग्र रूप से विकास आवश्यक है यह
समग्र विकास ही महिला सशक्तिकरण का आधार है एवं चुनौतियों का सामना करते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढाने में सहायक है।

## संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. डॉ. मंजुलता , भारतीय सामाजिक समस्याये, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2012
2. डॉ.सुशीला श्रीवास्तव, Women Empowerment, कॉमल वेल्थपब्लिेशर्स 2012
3. भगवती स्वामी सविता किशोर, महिला सशक्तिकरण क्यो और कैस, आर.बी.एस.ए.पब्लिशर्स 2008
4. डॉ.डी.एस.बघेल, समाजशास्त्रीय निबंध, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल